



कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक: एफ.() FCA/उवसं/2023/ 3258
निमित्त,

दिनांक : 28/3/23

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर।

विषय:- Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of DMG, Rajasthan in paharpur Block A & B for Mining and generation of employment and generation of District in the State of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक 5326 दिनांक 20.03.2023 एवं कार्यालय सहायक अभियंता खान एवं भूमि विज्ञान विभाग रूपवास का पत्रांक 642 दिनांक 22.03.2023 के कम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा चाही गयी पालना रिपोर्ट सारणी में तैयार कर बिन्दुवार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

S.N.	आपत्तियां	अनुपालना रिपोर्ट
1	के0एम0एल0 फाईल, डीजीपीएस मैप जी0टी0 शीट एवं लागत लाभ विश्लेषण पूर्वानुसार है।	खनिज विभाग द्वारा संशोधित करके ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है। (संलग्न:-पत्रांक 642 दिनांक 22.03.2023)
2	नवीन माईनिंग प्लान में (189.2515 है0) हेतु संलग्न किया जाना।	खनिज विभाग द्वारा संशोधित करके ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है। (संलग्न:-पत्रांक 642 दिनांक 22.03.2023)
3	गैर वन क्षेत्र को पांच गुणा लिया गया, कारण स्पष्ट करावें।	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक दिनांक 24.08.2022 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार गैर वन क्षेत्र का पांच गुणा क्षेत्रफल लिया गया है।
4	माईनिंग रिक्लेमेशन प्लान संलग्न नहीं है।	खनिज विभाग द्वारा संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न:-पत्रांक 642 दिनांक 22.03.2023)
5	दोनो ब्लॉक का कुल एरिया को वन एवं अभ्यारण्य के ESZ सीमा से मार्क करावें।	खनिज विभाग द्वारा संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न:-पत्रांक 642 दिनांक 22.03.2023)
6	साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट संलग्न की गयी किन्तु उसे पार्ट- II में सही जगह अपलोड करें।	साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में तकनीकी अक्षमता होने के कारण पूर्व वाली जगह पर अपलोड नहीं हो पा रही है। इसलिए Upload Additional Information वाले section में साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट अपलोड कर दी गयी है। (संलग्न :-Page No- From <u>5</u> to <u>8</u> ...)
7	वृक्षों की गणना अलग-अलग अर्थात कही पर 1,89,000 है तो कही पर 872 एवं 812 भी बताई गयी है। पार्ट- II अनुसार गणना में एक रूपता रखी जावें।	वृक्षों की गणना में पार्ट- II अनुसार संशोधित कर एक रूपता कर दी गई है।
8	डीजीपीएस मैप को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड नहीं करनी है।	खनिज विभाग द्वारा संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न:-पत्रांक 642 दिनांक 22.03.2023)
9	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.08.2022 की बिन्दुवार सूचना।	सूचना इस पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्न :-Page No- From <u>1</u> to <u>2</u> ...)

नोट:-संशोधित सी0ए0 स्कीम अपलोड कर दी गयी है। (संलग्न :-Page No- From 3.... to 4...)

(रवि कुमार मीणा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर